''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना''

के अन्तर्गत

25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की

स्थापना हेतु

परियोजना रिपोर्ट

लाभार्थी/विकासकर्ता का नाम :–

स्थल का पूर्ण पता :–

मोबाईल सं0 :–

ई–मेल पता :–

प्रस्तावना :–

प्रदेश के ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं तथा शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम/व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य एवं राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा **''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना''** शुरू की गयी है। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

1. इस योजना के अर्न्तगत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लान्ट अनुमन्य किये जायेंगे।
2. इस योजना को पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है।
3. इस योजना के अर्न्तगत पात्र व्यक्ति (राज्य के स्थायी निवासी) अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना कर सकेंगे।
4. इस योजना में प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकेंगे।
5. इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जायेगा।
6. यह योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना'' के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 580/VII-3/01(03)-एम0एस0एम0ई0/2020 दिनांक–09 मई, 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जायेगा तथा योजना के अन्तर्गत आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
7. इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को अपनी भूमि के भू–परिवर्तन उपरान्त Mortgage करने के लिये लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट प्राप्त होगी।

उत्तराखण्ड राज्य में सौर ऊर्जा की उपलब्धता का विवरण :–

सामान्यतः भारतवर्ष में अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा धूप की उपलब्धता पायी जाती है। भारतवर्ष में सामान्यतः 250 से 300 दिन की धूप उपलब्ध रहती है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 4–7 कि0वा0 की सोलर रेडिएशन प्रति वर्ग मीटर पर पायी जाती है, पश्चिमी राजस्थान में अधिक सोलर रेडिएशन एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में औसतन सोलर रेडिएशन 5.2–5.6 $KWh/m^2/day$ के मध्य पायी गयी है।

उत्तराखण्ड में सामान्यतः प्रति कि0वा0 सोलर सयंत्र से औसतन प्रति दिन 3 से 4 यूनिट के मध्य विद्युत उत्पादन होता है, परन्तु उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति कि0वा0 सोलर सयंत्र से उत्पादित विद्युत 5 यूनिट पाया गया है। अतः 25 KWh सोलर सयंत्र से लगभग 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन की संभावना है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी मानक : –

1. इस योजना के अर्न्तगत सोलर पावर प्लान्ट की क्षमता 25 कि0वा0 रहेगी।
2. 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता है।
3. 25 किलोवाट क्षमता तक के संयत्र की स्थापना पर लगभग 40 हजार प्रति किलोवाट की दर से कुल 10 लाख का व्यय सम्भावित है।
4. उत्तराखण्ड राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवाट क्षमता के संयत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि0वा0 की दर से कुल 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन हो सकता है।
5. इस योजना के अर्न्तगत यू0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफार्मर से 300 मीटर Aireal Distance (हवाई दूरी) एवं मैदानी में 100 मीटर Aireal Distance (हवाई दूरी) तक सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन किया जोयगा। यदि ट्रांसफार्मर के आस–पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते है तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनतम आय के आधार पर परियोजना आवंटन की जायेगी।
6. प्रदेश में यू0पी0सी0एल0 द्वारा 63 KVA एवं उससे अधिक क्षमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मरस के स्थलों की सूचना Online Portal पर उपलब्ध रहेगी, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जायेगा।
7. इस योजना के अर्न्तगत आवंटित परियोजना से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर 25 वर्षों तक क्रय किया जायेगा।
8. यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय करने हेतु सम्बन्धित लाभार्थी के साथ विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0 एवं सम्बन्धित लाभार्थी के मध्य किया जायेगा।

एम0एस0एम0ई0 नीति के अन्तर्गत (मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना) में जनपदवार परियोजना लागत पर अनुदान की अनुमन्यता का विवरण।

इस योजना में आवंटित सोलर पावर प्लान्ट के लाभार्थियों के निम्नानुसार मार्जिन मनी/अनुदान प्राप्त होगा :–

श्रेणी–ए	पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र	25 प्रतिशत
श्रेणी–बी **श्रेणी– बी+**	अल्मोड़ा, पौड़ी व टिहरी। जनपद नैनीताल का कोटाबाग विकासखण्ड, जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र।	20 प्रतिशत
श्रेणी–सी व डी	जनपद देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 650 मी0 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड में आने वाले क्षेत्र। जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर। जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी–बी, बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर)।	15 प्रतिशत

इस योजना में पात्र लाभार्थी को उपरोक्तानुसार जनपदों हेतु अनुमन्य मार्जिन मनी राशि जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त होगी तथा सीधे सम्बन्धित बैंक (जहां से ऋण स्वीकृत होना है) को भेजी जायेगी।

सोलर पावर प्लान्ट के मुख्य Component

सोलर मोड्यूल (Solar Module) :– सोलर माड्यूल धूप की तीव्रता के अनुसार सूर्य के प्रकाश को बिजली (DC) में बदलते हैं। सोलर मोड्यूल मुख्यतः दो प्रकार के होतें है।

1. Polycrystaline Type
2. Monocrystaline Type

उक्त दोनो प्रकार के सोलर मोड्यूल बाजार में मुख्यतः 250 वाट से 450 वाट तक के साईज में उपलब्ध होते हैं। 25 कि0वा0 सोलर सयंत्र में यदि 250 वाट के मोड्यूल लगाये जाते हैं तो कुल 100 मोड्यूल सयंत्र के लिये स्थापित होंगे।

इनवर्टर (Inverter) :– सोलर मोड्यूल से उत्पादित DC विद्युत को AC विद्युत में बदलने हेतु इनवर्टर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः 25 कि0वा0 क्षमता के सयंत्र हेतु एक String Inverter 25 कि0वा0 का प्रयोग किया जा सकता है।

स्ट्रक्चर (Structure) :– सोलर मोड्यूल स्ट्रक्चर पर Mount किये जाते हैं। सोलर मोड्यूल हेतु Galvanized Structure उपयोग में लाये जाते हैं।

लाईटिंग अरेस्टर (Lighting Arrester) :– सोलर सयंत्र को आकाशीय बिजली से बचाये जाने हेतु लाईटिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है।

अन्य कम्पोनेन्ट :– केबल, सर्किट ब्रेकर, AC/DC Distribution Box आदि।

उत्पादित विद्युत को ग्रिड से जोड़ना

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेगुलेशन के आधार पर प्रत्येक सोलर पावर प्लान्ट से उत्पादित विद्युत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा अपने व्यय पर ग्रिड से जोड़ा जाता है तथा मीटर स्थापित कर प्रत्येक माह की रीडिंग के अनुसार निर्धारित विद्युत विक्रय मूल्य पर सम्बन्धित सयंत्र स्थापनाकर्ता को भुगतान किया जायेगा।

प्रत्येक माह कुल उत्पादित विद्युत की रिडिंग यू0पी0सी0एल0 द्वारा ली जायेगी तथा प्रत्येक माह बिल तैयार कर धनराशि का भुगतान लाभार्थी के खाते में किया जायेगा।

बैंक से ऋण की अदायगी हेतु यू0पी0सी0एल0 द्वारा Escrow खाते में विद्युत बिल का भुगतान देय होगा।

परियोजना का सामान्य विवरण

1	लाभार्थी / विकासकर्ता का नाम	:	
2	परियोजना स्थल का नाम / पता	:	
3	परियोजना की क्षमता	:	25 किलोवाट
4	लाभार्थी का पत्र व्यवहार हेतु पता / ई–मेल / मो0संख्या	:	
5	यू0पी0सी0एल0 के Transformer का विवरण, जिसमें परियोजना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है।	:	
i)	Transformer की क्षमता	:	
ii)	Transformer से परियोजना स्थल की दूरी (मीटर में)	:	
6	परियोजना हेतु चयनित भूमि	:	स्वयं / लीज
7	उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	:	

अन्य विवरण :–

1	परियोजना की अनुमानित लागत	:	
2	परियोजना से वार्षिक विद्युत उत्पादन	:	
3	परियोजना हेतु लिये जाने वाले ऋण की राशि	:	
4	मार्जिन राशि के रूप में प्राप्त होने वाली राशि (मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जनपदवार निधारित राशि के अनुसार)	:	
5	यू0पी0सी0एल0 को विद्युत विक्रय की दर (मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित)	:	
6	विद्युत विक्रय से प्राप्त अनुमानित कुल वार्षिक धनराशि	:	
7	परियोजना के रख–रखाव एवं लीज राशि (यदि देय हो) पर होने वाला वार्षिक व्यय	:	

आवेदक के हस्ताक्षर.....

नाम व पता .....

.....